न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00156

धन्ना लाल आत्मज हीरा लाल जाति मीणा निवासी कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्री लाल आत्मज जवाहरलाल जाति धाकड निवासी कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती बद्री बाई बेवा बद्रीलाल जाति धाकड ।
   1/2. महावीर पुत्र स्व0 बद्रीलाल जाति धाकड ।
   1/3. मीना पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड ।
   1/4. सीला पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड ।
   1/5. रामधनी पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड ।
   1/6. उर्मिला पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. देवलाल आत्मज जवाहर लाल जाति धाकड निवासी कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. लाली विधवा जवाहर लाल जाति धाकड निवासी कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी।
4. सुगना पुत्री श्री जवाहर लाल जाति धाकड पत्नी श्री हेमराज निवीस दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. नन्दलाल आत्मज हीरा जाति धाकड निवासी कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान :–
   5/1. जानकी बेवा नन्दलाल जाति धाकड ।
   5/2. द्वारकी लाल पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति धाकड ।
   5/3. दशरथ पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति धाकड ।
   5/4. विष्णु प्रसाद पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट की ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोथ्या तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 308/1 रकबा 02 बीघा स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण का इसमें कोई अधिकार नहीं है । वादी उक्त भूमि पर बहैसियत गैर खातेदार काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की है परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जो कि सीपीसी की पालना में आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के बयानों को खंडित नहीं किया है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है । प्रतिवादीगण का इसमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण जबरन वादी के गैर खातेदारी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं । इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया था जिसको प्रतिवादी के द्वारा खंडित नहीं किया गया है फिर भी दावा

खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया है जिसमें सरकार आवश्यक पक्षकार है । सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं है । गैर खातेदारी से खातेदारी आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने पर दी जाती है उसके लिए हक घोषणा का दावा नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि वादी का दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है न कि हक घोषणा का पर्वू में त्रुटिवश अपील के उनवान में वाद खातेदारी घोषणा अंकित हो गया है जबकि परीक्षण न्यायालय में दावा स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें सरकार आवश्यक पक्षकार नहीं होती है और गैर खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का अधिकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक दावा पेश किया था और दावे में यह सहायता मांगी है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के गैर खातेदारी एवं कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे । इस प्रकार दावा हक घोषणा का न होकर स्थायी निषेधाज्ञा का है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 21.02.94 को तनकीयात कायम की हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अंकित है परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सीपीसी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण को सीपीसी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/2/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा